न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2022 / 532

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

—वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र सत्यनारायण कौम रेगर निवासी बालापुरा भील मोहल्ला मेहरूकलां

——प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक 15/02/2023

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई पेरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी उपस्थित प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:—

तहसीलदार केकड़ी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया है कि वर्तमान जमाबंदी राजस्व ग्राम धुंवालिया तहसील केकड़ी की जमाबन्दी संवत 2076 की वाद वर्णित आराजी का विवरण निम्नानुसार है—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
4—207	1068 1068 / 1195 1197 / 1068 1199 / 1068	0.14 0.32 0.16 0.32	बरानी 3 बरानी 3 बरानी 3 बरानी 3
	किता 1	रकबा 0.1830 हैक्टर	

उक्त वाद वर्णित आराजीयात प्रतिवादी मांगीलाल पुत्र सत्यनारायण जाति रेगर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर मौके पर डंपिंग कार्य किया जा रहा है। उक्त आराजीयात पर अवैध रूप से भूमि को रूपान्तरण कराये बिना ही व्यवसायिक प्रयोजनार्थ डंपिंग कर रहे है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत अवैध है। उक्त भूमि प्रतिवादी को कृषि कार्य हेतु दी गई लेकिन प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि को बिना रूपांतरण कराये डंपिंग रूप में उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 आर.टी.ए. के अन्तर्गत किसी ऐसे कार्य वाले व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है जिसके भंग करने पर वह विशेष संविदा जो इस अधिनियम के उपबन्धो के प्रतिकूल नही है के अनुसार बेदखली का दायी है। प्रतिवादी के इस कार्य से राज्य को अपूर्णीय क्षति एवं कृषि योग्य भूमि को क्षति पंहूचती है। उनका यह कार्य नियम विरूद्ध है जिससे उन्हे उक्त भूमि से बेदखल किया जाना व उसके खिलाफ नियमों दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया है एवं वादवर्णित आराजी को राज दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा व फर्द दस्तावेज पेश किये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

जवाब प्रतिवादी अनुसार वादवर्णित आराजी व्यवसायिक रूपान्तरित आराजीयात है जिसका पट्टा विलेख (लीज डीड्स) व्यवसायिक पट्टा नम्बर 213/22-23 नगरपालिका केकड़ी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में जारी किया गया है तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नगरपालिका के नाम दर्ज है। वादी ने कलई मिथ्या आधारों पर यह वादपत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं फर्द दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उपपंजीयक केकड़ी से पंजीबद्ध कृषि भूमि रूपान्तरण नियमन लीज डीड के दस्तावेज एवं नगरपालिका द्वारा जारी पट्टा-विलेख (लीज डीड्स) व्यवसायिक पट्टा नम्बर 213/22-23 क्रमांक/आरक/08/22-23 दिनांक 25.07.2022 से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा वादवर्णित आराजीयात का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया जाकर व्यवसायिक पट्टा प्राप्त किया है, जिससे उक्त वादपत्र चलने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 को खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] पचौरी)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner